REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225462 CG-DL-E-25022021-225462

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942 No. 95] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 136(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 136क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 1 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: <u>amit.vardan@gov.in</u>, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

- 1. शीर्षक एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में अध्याय VI

"यातायात नियंत्रण" के नियम 139क के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"139ख. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन -

(क) चालान जारी करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के लिए उपयुक्त पुलिस अधिकारी या नामित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यह प्रमाणित करता है कि उपकरण सही है और उचित तरह से काम कर रहा है। अनुमोदन प्रमाण पत्र को वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ "इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण" का तात्पर्य एक स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, वे इन मोशन (डब्ल्यूआईएम) और ऐसी कोई अन्य तकनीक है। बॉडी वियरेबल कैमरा को पुलिस अधिकारी, परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा धारण किया जा सकता है और अधिकारी को उल्लंघनकर्ता को सूचित करना चाहिए कि बॉडी कैमरा द्वारा उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से डैशबोर्ड कैमरा किसी भी पुलिस वाहन या राज्य सरकार द्वारा यातायात नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत किसी अन्य वाहन के डैशबोर्ड पर लगाया जा सकता है और अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि उसे डैशबोर्ड कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है।

- (ख) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर उच्च-जोखिम वाले और अधिक सघनता वाले गलियारों पर और राज्यों की राजधानियों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (लाख से अधिक शहरी समुदायों / शहरों पर आधारित: भारत की जनगणना 2011 पर उपलब्ध डेटा के अनुसार या नवीनतम जनगणना के अनुसार) में उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण को इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि इससे किसी भी प्रकार की रुकावट, सीधा देखने में परेशानी या यातायात प्रवाह में रुकावट पैदा न हो।
- (ग) खंड (क) और (ख) के प्रयोजनार्थ, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के फुटेज का उपयोग निम्नलिखित उल्लंधनों के लिए चालान जारी करने के लिए किया जा सकता है:
 - i. निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन नहीं चलाना (धारा 112/183)
 - ii. किसी अनधिकृत स्थान पर वाहन को रोकना या पार्क करना (धारा 122)
 - iii. चालकों और पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय (धारा 128)
 - iv. सुरक्षात्मक हेडगियर/ हेलमेट पहनना (धारा 129)
 - v. लाल बत्ती पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय हैंड हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों का उपयोग करना, कानून का उल्लंघन कर अन्य वाहनों को पास या ओवरटेक करना, अधिकृत यातायात दिशा के विपरीत दिशा में वाहन चलाना, इस तरीके से वाहन चलाना, जो सक्षम और सावधान चालक की अपेक्षा से कम हो और जहां एक सक्षम और सावधान चालक से यह स्पष्ट है कि उस तरीके से वाहन चलाना खतरनाक होगा (धारा 184)
 - vi. अनुमेय भार से अधिक का वाहन चलाना (धारा 194)
 - vii. बिना सुरक्षा बेल्ट के वाहन चलाना (धारा 194 ख)
- (घ) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण द्वारा मॉनिटर किए गए खंडों से पहले स्पष्ट रूप से जनता को सूचित करते हुए कि ऐसा उपकरण उपयोग में है, उचित चेतावनी संकेत लगाए जाएं । संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पर वास्तविक चिह्नों और पैदल क्रॉसिंग को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया

जाए। प्रतिकूल मौसम के दौरान जैसे बारिश, ओलावृष्टि, कोहरे आदि के दौरान सड़क खंडों पर गति सीमा को सूचित करने के साथ ही मार्ग में आगे किसी रुकावट का संकेत देने के लिए भी उपयुक्त निश्चित और गतिशील गति सीमा संकेतों का उपयोग किया जा सकता है।

(ड.) यातायात का प्रबंधन करते समय या किसी प्रवर्तन अभियान चलाते समय पुलिस और परिवहन अधिकारियों जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से बॉडी वियरेबल कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इस तरह के उपकरणों का उपयोग किसी घटना की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग न्यायालय में उल्लंघनकर्ता चालक या व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत के रूप में किया जा सकता है और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उल्लंघनकर्ता चालक या व्यक्ति को दंडित करने में कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की है।

कानून प्रवर्तन अधिकारी के ड्यूटी पर तैनात होने पर ही बॉडी कैमरा के वीडियो और ऑडियो दोनों फ़ंक्शन सक्रिय होंगे और अधिकारी को इससे संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा उन्हें बॉडी कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है।

- (च) खंड (क), (ख) और (ग) के तहत जारी किए गए सभी चालानों को एक उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित जानकारी होना चाहिए:
 - (i) उल्लंघन और वाहन के लाइसेंस प्लेट को दर्शाते हुए स्पष्ट फोटोग्राफिक साक्ष्य
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण से मापन
 - (iii) उल्लंघन की तारीख, समय और स्थान
 - (iv) उल्लंघन किए गए अधिनियम के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस
 - (v) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 ख (4) के अनुसार प्रमाण पत्र, जो:

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है और उसके प्रस्तुत करने के तरीके का वर्णन करता है;

उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसे विवरण देता है, जो यह दर्शाने के लिए उपयुक्त हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा निर्मित किया गया था;

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

- (छ) खंड (क) और (ख) के तहत चालान, वाहन के पंजीकृत मालिक के नाम से जारी किए जाएंगे और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात एसएमएस / ई-मेल में या भौतिक रूप में अपराध के नोटिस के साथ होना चाहिए।
- (ज) चालान का भुगतान उप-नियम (5), (6) और (7) के नियम 167 में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर किया जाएगा। ई-चालान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा या राज्यों द्वारा निर्दिष्ट ट्रैफ़िक पुलिस स्टेशनों या निर्दिष्ट स्थानों पर नकदी या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है।
- (झ) अपराध की सूचना अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को 30 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए, और उस मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक अपराध से संबंधित है, अपील सहित शुरू की गई कार्यवाही के समापन तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।
- (ट) यदि वाहन का मालिक अपराध के समय वाहन नहीं चला रहा था, तो वह अदालत में बेगुनाही का दावा कर सकता है, यह उचित प्रमाण प्रदान करके कि वह अपराध के समय चालक नहीं था, या यह कि दूसरा व्यक्ति अपराध के समय चालक था।"

[सं. आरटी-16031/1/2021-टी] अमित वरदान, संयुक्त सचिव **टिप्पणी :** मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रुप से अधिसूचना संख्या सा. का. नि.____ (अ) दिनांकित _____ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2021

G.S.R. 136(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 136A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: <u>amit.varadan@gov.in</u> Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after Rule 139A, in Chapter VI "Control of Traffic" the following rules shall be inserted, namely:-"139B. **Electronic** *Monitoring and Enforcement of Road Safety.-*

(a) The electronic enforcement device used for issuance of a challan shall have an approval certificate signed by an appropriate police officer or designated authority certifying that the device is accurate and operating properly. The approval certificate must be renewed on a yearly basis.

Explanation: For the purpose of this rule "electronic enforcement device" means a speed camera, closed-circuit television camera, speed gun, body wearable camera, dashboard camera, Weigh in Motion (WIM) and any such other technology. Body wearable camera may be worn by police officer, transport official or any other official authorised by the State Government and the official must notify to the offender that he is being recorded by the body camera. Similarly dashboard camera may be placed on the dashboard of any police vehicle or in any other vehicle as authorised by the State Government for enforcing the traffic rules and the official must notify to the offender that he is being recorded by the state must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the official must notify to the offender that he is being recorded by the dashboard camera.

- (b) State Governments shall ensure that appropriate electronic enforcement devices are placed at high-risk and high-density corridors on National Highways and State Highways, and at critical junctions in State Capitals and cities with more than 1 million population (as per data available based on Million Plus Urban Agglomerations/Cities: census of India 2011 or as per the latest census). The electronic enforcement device should be placed in such a manner so as not to cause any obstruction, line-of-sight issues or interruption in traffic flow.
- (c) For the purpose of clause (a) and (b), the footage from an electronic enforcement device can be used to issue challan for the following offences:
 - i. Not driving within the prescribed speed limit (Section 112/183)
 - ii. Stopping or parking vehicle at an unauthorised location (Section 122)

- iii. Safety measures for drivers and pillion riders (Section 128)
- iv. Wearing of protective headgear/ helmets (Section 129)
- v. Jumping a red light, violating a stop sign, use of handheld communications devices while driving, passing or overtaking other vehicles in a manner contrary to law, driving against the authorised flow of traffic, driving in any manner that falls far below what would be expected of a competent and careful driver and where it would be obvious to a competent and careful driver that driving in that manner would be dangerous (Section 184)
- vi. Driving vehicle exceeding permissible weight (Section 194)
- vii. Driving without safety belt (Section 194B)
- (d) State Governments shall ensure that appropriate warning signs are conspicuously placed before the stretches monitored by electronic enforcement device, notifying the public that such device is in use. Concerned authorities shall ensure that physical markings and pedestrian crossing are clearly marked on the road. Appropriate fixed and dynamic speed limit signs may also be used to notify the speed limits on the road sections during adverse weather conditions such as rain, hail, foggy weather, etc. as well as for indicating any obstruction ahead in the route.
- (e) Body wearable cameras shall be explicitly used by the law enforcement officers, such as police and transport officials while managing the traffic or carrying out any enforcement drive. Such devices shall be used to record the proceedings of an event, which can be used in the court as an evidence against the offending driver or person and also ensure that the law enforcement official has acted as per the provisions of law while penalising the offending driver or person.

Both the video and audio functions of the body camera shall be activated only when the law enforcement official is on duty and the official must notify the subjects that they are being recorded by the body camera.

- (f) All challans issued under clauses (a), (b) and (c) shall be approved and signed by an appropriate police officer and must be accompanied with the following information:
 - (i) Clear photographic evidence highlighting the offence and the license plate of the vehicle
 - (ii) Measurement from the electronic enforcement device
 - (iii) Date, time and place of the offence
 - (iv) Notice specifying the provision of Act that has been violated
 - (v) Certificate as per Section 65B(4) of the Indian Evidence Act 1872, which:

identifies the electronic record and describes the manner in which it was produced;

gives such particulars of any device involved in the production of that electronic record, as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;

signed by the officer authorised in this behalf by the State Government

- (g) Challans, under clauses (a) and (b), shall be issued in the name of the registered owner of the vehicle and must be accompanied with a notice of offence in electronic form i.e. SMS/e-mail or in physical form to a person acting in the violation of the provisions of the Act.
- (h) Payment of the challan shall be made within the time period specified in the sub-rule (5), (6) and (7) of Rule 167. The payment of e-challan can be made electronically on an online portal specified by the State Government or using cash or electronic means at Traffic Police stations or at designated places as specified by the States.
- (i) The notice of offence shall be sent within 15 days of the occurrence of the offence. The electronic record collected by way of electronic monitoring should be stored for a minimum period of 30 days, and in the case where the electronic record relates to an offence, should be stored till the conclusion of proceedings initiated, including appeals.

(j) In case the owner of the vehicle was not driving the vehicle at the time of offence, he may claim innocence in the court, by providing appropriate proof that he was not the driver at the time of the offence, or that another person was the driver at the time of the offence."

[No. RT-16031/1/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. (E) dated _____.